<u>न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय, सहानरपुर</u>

प्रकीर्ण वाद सं0– 143/2026

श्रीमती असमा बनाम मुकर्रम आदि।

धारा– 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0

थाना– चिलकाना, जिला सहारनपुर।

<u>15.07.2026</u>

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का परिशीलन किया गया।

2. प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीया की शादी विपक्षी नं0–1 मुकर्रम के साथ दिनांक 24–09–2023 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी और शादी में लाखों रूपये का सामान मुझ प्रार्थीया के माता– पिता व दीगर रिश्तेदारान ने मुझ प्रार्थीया के हित व प्रयोग के लिए दिया था, जिसमें इलैक्ट्रानिक्स सामान फर्नीचर, सोने चांदी के जेवरात, कीमती कपडे, व कीमती बर्तन आदि व एक मोटर साईकिल स्पलेण्डर भी दी थी। विपक्षीगण उपरोक्त सभी सामान सहित मुझ प्रार्थीया को रूकसत कराकर अपने मकान ग्राम बल्लामजरा लेकर आये जहां पर रहकर मैनें फराईज जोजियत अदा किये। विपक्षीगण आपस में सगें सम्बंधी है, जो दहेज के लोभी व लालची किस्म के लोग हैं, जिन्होंने बाद शादी मुझ प्रार्थीया पर माता– पिता के यहां से 5 लाख रूपये नकद व बुलेट मोटर साईकिल लाने की मांग रखी। प्रार्थीया ने विपक्षीगण से कहा कि मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से बढकर लाखों रूपये मेरी शादी में खर्च किये हैं। मेरे परिवार की इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हारी दहेज की नाजायज मांग को पूरा करे। इस पर विपक्षीगण मुझ प्रार्थीया के साथ नौकरानियों की तरह बर्ताव करने लगे और मेरे साथ मारपीट करते थे। मुझ प्रार्थीया को शारीरिक, लैंगिक, मानसिक यातनायें पहुँचातें। इस शादी से मुझ प्रार्थीया को एक लड़का इस्माईल पैदा हुआ, जो बकायद हयात है। मुझ प्रार्थीया के पति मुर्करम सऊदी अरब में नौकरी करता है। मेरे पति की गैर मौजूदगी का नाजायज फायदा उठाकर विपक्षी मुकददस मुझ प्रार्थीया पर गलत नजर रखता और मुझ प्रार्थीया के साथ अश्लील हरकतें करता, मैनें विरोध किया तो उल्टा मेरी ससुराल वालें मुझको ही डांट फटकार लगाकर चुप करतें और कहतें थे कि हरामजादी हमारी दहेज की मांग को पूरा करने की बजाये उल्टा हमारे परिवार को ही बदनाम करने की साजिश रच रही है। प्रार्थीया अपने माता– पिता की इज्जत की खातिर व अपनी ग्रहस्थी बचाने के लिए विपक्षीगण के जुल्म बर्दाश्त करती रही। दिनांक 20–05–2026 को शाम के करीब 06:30 बजे का वाका है। प्रार्थीया अपने ससुराल वालें मकान में मौजूद थी, तभी विपक्षी मुकददस मेरे कमरे के अन्दर घुस आये और मुझ प्रार्थीया को झूठी हमदर्दी दिखाते हुए मुझे पकड़ लिया और प्रार्थीया के साथ मेरी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती चाकू का भय दिखाकर बलात्कार किया और मुझ प्रार्थीया को इस बात की धमकी दी कि अगर तूने अपना मूंह खोला तो मैं तेरे लड़के को जान से मरवा दूंगा। प्रार्थीया ने हिम्मत करके कुल वाका अपने ससुराल वालों व अपने पति से बताया, जिस पर मेरी ससुराल वालों ने दिनांक 21–05–2026 को यह कहतें हुये कि हरामजादी इसने तो हमारे परिवार को बदनाम करने की सोच रखी है, ये बार– बार उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। इसका किस्सा खत्म करो मुझ प्रार्थीया की सुने बिना ही विपक्षी मुकर्रम ने अन्य विपक्षीगण के कहने पर मुझ प्रार्थीया को तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी कहकर तलाक दे दी और मेरे जबरदस्ती कोरे कागजों पर अंगूठा व हस्ताक्षर करा लिये और मुझे बेसरोसामान की हालत में मारपीट कर घर से निकाल दिया है, जैसे– तैसे मैं अपने घर पहुँची और कुल वाकात बताये। थाने पर गये तो थाने वालों ने उच्च अधिकारियों से आदेश कराकर लाने की बात कहकर टाल दिया। तब से ही प्रार्थीया बडी मुश्किल से अपने मायके में ही रह रही हूँ तथा दिनांक 15–06–2026 को प्रार्थीया ने एक प्रार्थनापत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर को बजरिये डाक द्वारा प्रेषित किया गया है। परन्तु आज तक विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसलिए प्रार्थीया श्रीमान जी के समक्ष यह 173–4 बी०एन०एस०एस० के तहत यह प्रार्थनापत्र दे रही है। न्यायहित में विपक्षीगण के विरूद्ध

उचित धाराओं में थाना चिलकाना पर मुकदमा दर्ज किये जाने एवं विवेचना कराये जाने के आदेश पारित किये जाना आवश्यक है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ एस०एस०पी० महोदय को भेजे गये प्रार्थनापत्र की प्रति व डाक रसीद संलग्न है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र 173–4 बी0 एन 0 एस०एस० स्वीकार किया जाकर थाना चिलकाना पर उचित धाराओ में मुकदमा कायम कराया जाये।

3. प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद की मूलप्रति तथा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

4. प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त घटना के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में मुख्यतः कथन किया गया है कि विपक्षीगण ने प्रार्थिया से अतिरिक्त दहेज के रूप में 5 लाख रुपये नकद व बुलेट मोटरसाईकिल की मांग की, जिसकी पूर्ति न करने पर विपक्षीगण ने प्रार्थिया के साथ घटना कारित की। प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वह सभी तथ्यों का स्वयं जानकार है तथा साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने केस को साबित कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ के निर्णय **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए 0 सी0 सी0 739** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मजिस्ट्रेट धारा– 156(3) दं0 प्र 0 संहिता {173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता} में दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किये जाने तथा विवेचना कराये जाने हेतु आदेश पारित करने को बाध्य नहीं है, भले ही प्रार्थना पत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध होना पाया जाता हो।

7. अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **फादर थॉमस बनाम स्टेट ऑफ यू0 पी0 2002 (1) जे0 आई 0 सी0 415 (इलाहबाद)** व **रामबाबू गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2001 (43) ए 0 सी0 सी0 50 (इलाहाबाद पूर्ण पीठ)** के निर्णय में दिये गये विधि सिद्धान्तों के आलोक में प्रार्थिया उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिया श्रीमती असमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 परिवाद में परिवर्तित किया जाता है।

प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाये। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा– 223 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 दिनांक 18.08.2026 को पेश हो।

(अभिषेक चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट– द्वितीय,
सहारनपुर।
JO Code– UP3465